संख्या 27-03/एनएमए-2025/न्यायालय (सी.सं.426)

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

*****

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 09.07.2025

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: संरक्षित संस्मारकों के निकट निर्माण गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्थानीय निकायों/नगर निगमों द्वारा अनाधिकृत अनुमति प्रदान करना - संविधान के अनुच्छेद 49 और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 का उल्लंघन।**

श्री डेनिस क्रस्टा बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 9010/2025 में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिनांक 02.06.2025 के आदेश के तहत जारी निदेशों के आलोक में **भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में निहित संवैधानिक अधिदेश** पर बल देते हुए, राज्य को राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से बचाने के लिए बाध्य करता है और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, निर्माण गतिविधियों के नियमन हेतु नियुक्त सभी स्थानीय निकायों/नगर निगमों द्वारा इनका कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं:

i. एएमएएसआर अधिनियम, 1958 और उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र (100 मीटर) या विनियमित क्षेत्र (200 मीटर) के भीतर किसी भी निर्माण या विकासात्मक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii. निर्माण गतिविधियों के लिए कोई भी अनुमति प्रदान करने से पहले उन्हें यह सत्यापित करना होगा कि प्रस्तावित निर्माण स्थल किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक (संस्मारकों) के प्रतिषिद्ध क्षेत्र (100 मीटर) या विनियमित क्षेत्र (200 मीटर) के अंतर्गत आता है या नहीं।

iii. ऐसे मामलों में, किसी भी प्रकार की स्वीकृति या अनुमोदन प्रदान करने से पहले, संबंधित मंडलों के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के कार्यालय से प्रस्तावित स्थल की केंद्रीय संरक्षित स्मारक (संस्मारकों) से सटीक दूरी की पुष्टि और सत्यापन किया जाना चाहिए।

iv. यदि प्रस्तावित निर्माण स्थल किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित पाया जाता है, तो स्थानीय निकाय/नगर निगम/विकास प्राधिकरण किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। आवेदक को अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से अनुमति (आरजीपी) प्राप्त करने के लिए एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 20सी के अंतर्गत आवेदन करने के निदेश दिए जाएंगे।

v. स्थानीय निकाय/नगर निगम, एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (यथा संशोधित 2010) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति जारी होने के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई करेंगे।

2. संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन का यथासंभव व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें और बिना किसी विचलन के इसका कड़ाई से और एकसमान अनुपालन सुनिश्चित करें।

(भास्कर वर्मा)

सदस्य सचिव

दूरभाष: 011-23072837

सेवा में,

सभी सक्षम प्राधिकारी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक, एएसआई
2. एसए, एएसआई, सभी सर्कल।
3. गार्ड फाइल।